

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि०न० - 21/2020(2020/00091)

अनवान :-

भंवरी पुत्री रामसिंह पत्नी बलवन्त सिंह जाति जाट निवासी मोतिपुराबास तहसील
भादरा हॉल आबाद कालीरावण तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)



प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 136लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :- श्री बलवन्त सिंह प्रार्थीया
राज पैरोकार अप्रार्थीया

निर्णय

दिनांक : 07/04/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 बारानी
भादरा के वर्तमान खाता सं 65/61 की कुल 6.9190 हैक्टेयर में प्रार्थीया के नाम 1/24
वा हिस्सा व चक मोतीपुरा बारानी के वर्तमान खाता संख्या 16/5 में 4.0100 हैक्टेयर में
1/8 वा हिस्सा प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम
भंवरी की बजाए गुड्डी दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थीया
का आधार कार्ड में प्रार्थीया का नाम भंवरी दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना
पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत डोभी के सरपंच द्वारा प्रमाण
पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थीया का उपरोक्त जमाबन्दी में भंवरी की बजाए गुड्डी दर्ज रहने से प्रार्थीया के
हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं
बनवा सकती है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकती है। प्रार्थीया राजस्व
रिकॉर्ड में दर्ज अपना नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अपना नाम गुड्डी के स्थान पर
अपना सही एवं वास्तविक नाम भंवरी दर्ज कराने का मजाज कानूनी है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम भंवरी के
स्थान पर गुड्डी दर्ज होने से प्रार्थीया राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से
लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन
लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीया का नाम गुड्डी दर्ज रहने
से प्रार्थीया के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं
वंचित होना पड़ता है। प्रार्थीया के रोही मौजा चक 8 बारानी भादरा के वर्तमान खाता सं
65/61 की कुल 6.9190 हैक्टेयर में प्रार्थीया या के नाम 1/24 वे हिस्से में व चक

Page 1 of 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

मोतीपुरा बारानी के वर्तमान खाता संख्या 16/5 में 4.0100 हैक्टेयर के 1/8 वा हिस्से में प्रार्थीया का नाम भंवरी दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नहीं होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी परोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने रोही मौजा चक 8 बारानी भादरा के वर्तमान खाता सं 65/61 की कुल 6.9190 हैक्टेयर में प्रार्थीया के नाम 1/24 वा हिस्से व चक मोतीपुरा बारानी के वर्तमान खाता संख्या 16/5 में 4.0100 हैक्टेयर में 1/8 वा हिस्से में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि "प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भंवरी के स्थान पर गुड्डी दर्ज हो गया।" जिसके समर्थन में प्रार्थीया ने अपनी चित्रप्रति आधार कार्ड पेश किया है जिसमें प्रार्थीया का नाम भंवरी अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा चक 8 बारानी भादरा के वर्तमान खाता सं 65/61 की कुल 6.9190 हैक्टेयर में प्रार्थीया के नाम 1/24 वा हिस्से व चक मोतीपुरा बारानी के वर्तमान खाता संख्या 16/5 में 4.0100 हैक्टेयर में 1/18 वा हिस्से में प्रार्थीया का नाम "गुड्डी के स्थान पर गुड्डी उर्फ भंवरी" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए गुड्डी ही प्रभावी मानी जायेगी तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/04/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जयसिंह) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़